न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
96 / अपील / 2015	28.09.2015	18.10.2019

1. लोडक्या आ. स्वर्गीय तेजा गोद पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम नीमोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

– अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज.)
2. मॉग्या उर्फ मांगी लाल आ. स्वर्गीय रूघा जाति मीणा निवासी ग्राम नीमोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज.) (मृतक) कायम मुकाम

2/1 भोला शंकर आ. मांग्या उर्फ मांगी लाल जाति मीणा निवासी ग्राम नीमोद तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)

3. मिश्री लाल आ. स्वर्गीय तेजा, जाति मीणा निवासी ग्राम नीमोद तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)
4. नारायण आ. स्वर्गीय तेजा, जाति मीणा निवासी ग्राम नीमोद तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)
5. तेजा आ. रूघा जाति मीणा निवासी ग्राम नीमोद तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)
6. गंगाराम आ. सुखदेव जाति मीणा निवासी ग्राम नीमोद तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)
7. शंकर आ. बिशना जाति मीणा निवासी ग्राम नीमोद तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)
8. रामस्वरूप आ. बिशना जाति मीणा निवासी ग्राम नीमोद तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)
9. मोजी राम आ. बिशना जाति मीणा निवासी ग्राम नीमोद तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)
10. फोरू लाल आ. बिशना जाति मीणा निवासी ग्राम नीमोद तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)
11. काली बाई पुत्री बिशना जाति मीणा निवासी ग्राम नीमोद तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)

– रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम,
विरूद्व नामान्तकरण सं. 62 दिनांक 13.10.

उपस्थित :–

प्रार्थीगण की ओर से – श्री नवेद केसर, अभिभाषक।
अप्रार्थीगण की ओर से – श्री कुलदीप सिंह नरूका, अभि.।

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

–: निर्णय :–

यह अपील तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 62 दिनांक 13.10 ग्राम नीमोद तहसील हिण्डोली से अप्रसन्न होकर इस न्यायालय में अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम पेश की गयी है। अपीलाधीन नामान्तकरण जगन्नाथ व सुखेदव फौत होने से उनके वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम नीमोद पटवार क्षेत्र सांवतगढ़ तहसील हिण्डोली में स्थित भूमि खतोनी सं. नई 136 पुरानी 69 की कुल किता 16 कुल रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि स्व. रूघा जी के खाते व कब्जे काश्त की थी। रूघा जी के चार पुत्र तेजा, सुखदेव, जगन्नाथ व मांग्या उर्फ मांगी लाल हुये। जिनमें जगन्नाथ नाऔलाद फौत हो चुका है। रूघा जी का पुत्र सुखदेव फौत हो चुका है। सुखदेव के दो पुत्र गंगाराम व बिशना हुये। जिनमें गंगाराम जीवित है और बिशना का स्वर्गवास हो चुका है। बिशना के चार पुत्र व एक पुत्री है। रूघा जी का पुत्र मांग्या उर्फ मांगी लाल एवं तेजा जीवित है। तेजा जी के तीन पुत्र लोडक्या, मिश्री लाल व नारायण है। रूघा जी के पुत्र जगन्नाथ के कोई सुलभी औलाद नहीं होने से उनके द्वारा अपने भाई तेजा के पुत्र लोडक्या को गोद लेकर अपना गोद पुत्र बनाया था। स्व. जगन्नाथ के स्वर्गवास के पश्चात जगन्नाथ को लाऔलाद फौत बताकर उसके फौत नामा. में अपीलान्ट का नाम तस्दीक नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नाम. कानूनी तथ्यों एवं विधि विधान के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन नामा. करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामा. में अपीलान्ट के स्वर्गीय जगन्नाथ का गौद पुत्र होने के उपरान्त भी जगन्नाथ के स्वर्गवास के उपरान्त जगन्नाथ के स्थान पर उसके वारिसान का नाम अंकित नहीं किया गया। जगन्नाथ के वारिसान की जांच नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामा. निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का नाम स्व. जगन्नाथ के स्थान पर राजस्व रेकार्ड में अंकित करने हेतु पुनः जॉच कर अधीनस्थ न्यायालय को नये सिरे से नामा. पारित करने हेतु निर्देशित किया जावे।

अभिभाषक रेस्पो. ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को पुनः वारिसान की जांच कर नये सिरे से नामा. पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामा. सं. 62 ग्राम नीमोद

खातेदार जगन्नाथ लाऔलाद फौत व सुखदेव के फौत होने से सुखदेवा के दो लडके गंगाराम व बिशना के नाम तस्दीक किया गया। अपीलान्ट लोडक्या ने अपील में निवेदन किया है कि मृतक जगन्नाथ के स्थान पर अपीलान्ट का नाम दर्ज किया जावे। अपील में अंकित भूमि स्व. रूघा जी के खाते व कब्जे काश्त की थी। रूघा जी के चार पुत्र तेजा, सुखदेव, जगन्नाथ व मांग्या उर्फ मांगी लाल हुये। जिनमें जगन्नाथ लाऔलाद फौत हो चुका है व सुखदेव भी फौत हो चुका है। सुखदेव के दो पुत्र गंगाराम व बिशना हुये जिनमें गंगाराम जीवित है और बिशना का भी स्वर्गवास हो चुका है। बिशना के चार पुत्र व एक पुत्री है। रूघा का पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल एवं तेजा जीवित है। तेजा के तीन पुत्र लोडक्या मिश्रीलाल व नारायण है। रूघा के पुत्र जगन्नाथ के कोई सुलभी औलाद नहीं होने से उसके द्वारा अपने भाई तेजा के पुत्र लोडक्या को गोद पुत्र बनाया था। स्व. जगन्नाथ के स्वर्गवास के पश्चात् अपीलाधीन नामा. में अपीलान्ट का नाम तस्दीक नहीं किया गया है। रेस्पो. को अपील स्वीकार कर नये सिरे से नामा. दर्ज करने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन नामा. सं. 62 ग्राम नीमोद पटवार मण्डल सांवतगढ़ निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार, हिण्डोली को इन निर्देशो के साथ रिमाण्ड (प्रति प्रेषित) किया जाता है कि वह मृतकों के वारिसान के सम्बन्ध में समुचित जॉच कर साक्ष्य व दस्तावेज रेकार्ड पर लेते हुये नये सिरे से पुनः आदेश पारित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)